भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1613

02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: स्वामीनाथन समिति रिपोर्ट की सिफारिशें

1613. श्री हनुमान बैनिवालः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वामीनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशें किसानों के हित में थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त कथित आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त आयोग की अब तक कितनी सिफारिशें लागू की गई हैं; और

(घ) संघ सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत सिफारिशों को राजस्थान सरकार द्वारा किस स्तर तक लागू किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने सिफारिशें की और समिति ने वर्ष 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने वर्ष 2006 में की गई प्रमुख सिफारिशों को शामिल करते हुए 'राष्ट्रीय किसान नीति का मसौदा' भी तैयार किया। जिसे वर्ष 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति (एनपीएफ) के रूप में अनुमोदित किया गया। इस नीति का लक्ष्य कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना और किसानों की निवल आय में वृद्धि करना है। एनपीएफ-2007 के प्रावधानों का संक्षिप्त ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है।

(ग): एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी), जिसे कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित किया गया था, ने एनपीएफ, 2007 से 201 कार्रवाई बिंदुओं की पहचान की है, जिन पर अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जानी थी। चिन्हित किए गए 201 कार्रवाई बिंदुओं में से अब तक 200 बिंदुओं को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

(घ): राजस्थान राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित स्वामीनाथन आयोग की विभिन्न सिफारिशों का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

अनुबंध-I

एनपीएफ-2007 में नीतिगत प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

(i)	भूमि, जल, पशुधन, मात्सियकी और जैव संसाधनों के संबंध में परिसंपत्ति सुधार;
(ii)	अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों और रोग मुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति,
(iii)	किसानों को मृदा स्वास्थ्य पासबुक जारी करना और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली;
(iv)	क्षेत्र और फसल विशिष्ट उपकरण और मशीनरी;
(v)	महिलाओं के लिए सहायक सेवाएं;
(vi)	उचित ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण की समयबद्ध, पर्याप्त और आसान पहुंच और किसान-अनुकूल बीमा योजनाएं;
(vii)	सहायक सेवाएं और फ्रंर्टियर प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग जैसे आदान ;
(viii)	कृषि जैव-सुरक्षा प्रणाली;
(ix)	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग और कृषि विस्तार को पुनर्जीवित करने के लिए फार्म स्कूलों की स्थापना;
(x)	व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत किसानों की कवरेज;
(xi)	देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का प्रभावी कार्यान्वयन और सामुदायिक खाद्य अनाज बैंकों की स्थापना;
(xii)	कृषि मंडी अवसंरचना और कृषि के लिए टर्मिनल मंडियों का विकास;
(xiii)	कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम सुधार;
(xiv)	जैविक खेती और संविदा कृषि जैसे खेती की विशेष श्रेणियां;
(xv)	ग्रामीण परिवारों के लिए ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार पहल; तथा
(xvi)	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा दृष्टिकोण, आदि के लिए

लो.स.अता.प्र.सं.1613

अनुबंध-II

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का अनुपालन :

क्र.सं.	सिफारिशें	कार्रवाई
1	प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण	अब तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के प्रथम चरण (वर्ष 2015-17) में 91.09 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड और दूसरे चरण (वर्ष 2017-19) में 103.17 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को मुफ्त में वितरित किए गए हैं।
2	प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	राजस्थान के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। हालाँकि, कृषि विभाग राज्य में 101 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ प्रचालित करता है।
3.	सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड	सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों ने किसानों को लगभग 47.50 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए हैं।
4	फसल ऋण की कुल राशि में वृद्धि और ब्याज दरों में कमी	जिला सहकारी बैंक 4% ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान करते हैं और राज्य सरकार की सहायता के बाद 0% ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक 7% ब्याज दर पर फसल ऋण वितरित करते हैं और समय पर ऋण चुकाने पर 3% ब्याज दर की सहायता मिलती है।
5	वर्षा जल संचयन और जल निकायों के पुनर्भरण के माध्यम से जल की आपूर्ति में वृद्धि।	प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के तहत खेत में तालाबों का निर्माण किया जाता है।
6	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसे रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों में भूमि जल संरक्षण निर्माण कार्यों का प्रावधान।	मुख्य मन्त्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत तालाबों, फार्म पॉण्ड, कुओं का निर्माण किया गया है और जल संचयन के लिए तालाबों और बावड़ियों का पुनर्रूद्धार का कायाकल्प किया गया है।
7	कृषि आदानों के वितरण, विनियमन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के लिए तंत्र का विकास	कृषि आदानों बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों का वितरण, विनियमन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली अच्छी तरह से विकसित की गई है।
8	प्रत्येक पंचायत से एक व्यक्ति को कृषि प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जा सकता है	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी),कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई) के तहत प्रत्येक दो गावों पर एक किसान मित्र का चयन, प्रशिक्षित और तैनात किया गया है। विभिन्न सीएसएस के तहत किसानों को भी प्रशिक्षित किया जाता है।
9	देश में ग्राम पंचायत स्तर से एक किसान का ज्ञानार्जन दौरा	एनएमएईटी,एसएएमई के तहत देश में किसान एक्सपोज़र विजिट के लिए जाते हैं।
10	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थित और सदृढ़ विस्तार प्रणाली का विकास	दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्रों, कॉल सेंटर, पोस्टर, चार्ट, पैम्फलेट, पत्रिका आदि के माध्यम से भी कृषि प्रौद्योगिकी का प्रचार किया जाता है।
11	राज्य स्तर पर किसान आयोग का गठन	2007 के दौरान राज्य किसान आयोग बनाया गया है
12	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहनों की	वर्ष 2018-19 के दौरान एमएसपी पर चने, मूंग और उड़द

	खरीद	की खरीद की गई है।
13	फसल बीमा योजना की प्रीमियम दरों में कमी	प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल पर केवल 2% प्रीमियम, रबी फसल पर 1.5% प्रीमियम और वाणिज्यिक फसलों पर केवल 5% का भुगतान करना पड़ता है जो कि पिछली योजनाओं की तुलना में बहुत कम है।
14	फसल बीमा के लिए सभी फसलों को शामिल करना	प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत उन सभी फसलों को कवर किया जाता है जिनका बीमा इकाई में व्यक्तिगत रूप से पांच सौ से अधिक हेक्टर क्षेत्रफल शामिल है।
15	मंडी हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) का कार्यान्वयन	2018-19 के दौरान एमआईएस के तहत लहसुन की खरीद की गई है।
16	लघु कृषक संगठनों का सृजन	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया है
17	फसल प्रतियोगिता योजनाओं का आयेाजन और विजेता किसानों को पुरस्कार	एनएमईएटी-एसएएमई के तहत राज्य, जिलों और ब्लॉक स्तर पर नवाचारी किसानों को पुरस्कृत किया जाता है।
18	सभी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा	भारत सरकार 24 फसलों कार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है। राज्य की अधिकांश फसलें एमएसपी की सूची में शामिल हैं।
19	कृषि से संबंधित जल अवसंरचनाओं का रखरखाव और पुनर्रूद्धार	प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना की जिला कृषि योजना में कृषि से जुड़ी जल अवसंरचना के रखरखाव और कायाकल्प के प्रावधान को शामिल किया गया है।
20	भूमिगत जल स्रोतों के लिए वर्षा जल संचयन	कुछ सरकारी इमारतों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है।
21	उचित मूल्य पर गुणवत्ताप्रद बीज और अन्य आदानों की समय पर उपलब्धता	राजस्थान सरकार ने बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) प्रति वर्ष 3% की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 वर्षों के लिए सीड रोलिंग प्लान तैयार किया गया है। बीजों की आनुवंशिक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बांसवाड़ा में ग्रो आउट टेस्ट (जीओटी) केंद्र विकसित किया गया है। उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर साल डीएपी और यूरिया का अग्रिम स्टॉक किया जाता है।
22	किसानों की आय बढ़ाने के लिए कम जोखिम वाली और किफायती प्रौद्योगिकी की सिफारिशें	पद्धति पैकेज में कम जोखिम वाली और किफायती कृषि प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है जिसे किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
23	उपभोग स्थान के नजदीक शीघ्र खराब होने वाली कृषि उपज के लघु कृषक बागवानी एस्टेट का विकास और निर्यात की संभावना	तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान और अपनी उपज का विपणन के लिए किसान उत्पादक संगठन विकसित किए गए हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत बागवानी फसलों यथा मेंडारिन के लिए झालावाड, अनार के लिए बाड़मेर, अमरूद के लिए सवाईमाधोपुर और

		किनोवा के लिए श्रीगंगानगर के लिए क्लस्टर विकसित किए गए है।
24	कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान समुदायों में संपर्क का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है।	लैब टू लैब प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय गांवों को गोद ले रहे हैं।
25	मात्स्यिकी के लिए सहायता	किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए मात्सियकी विभाग द्वारा कई गतिविधियां की जाती हैं।
26	1 से 2 हेक्टेयर तक की छोटी जोतों की उपज के लिए सुनिश्चित मंडी की सुविधा का सृजन।	कृषि उपज की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-राष्ट्रीयकृषि मंडी (ई-नाम), ग्रामीण हाट, विशेष फल, फूल और सब्जी मंडियां स्थापित की गई है।
27	गुणवत्ता मानदंडो, मूल्य, भुगतान की पद्धति और प्राकृतिक आपदाओं पर विचार करते हुए किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बीच संविदा खेती को अधिक पारदर्शी और किसान केंद्रित बनाया जाएगा	कृषि-विपणन के लिए मॉडल अधिनियम तैयार किया गया है जिसमें संविदा खेती एफपीओ के प्रावधान शामिल हैं।
28	दलहन, तिलहन, लघु कदन्न, फल, दूध और मांस आदि के लिए वर्षासिंचित कृषि-उपज के लिए सुनिश्चित और लाभकारी विपणन तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा।	किसानों से एमएसपी पर दलहन, तिलहन आदि की खरीद करने के लिए प्रत्येक वर्ष उचित व्यवस्था की जाती है।
29	जैविक खेती सहित फसल-पशु-मात्स्यिकी एवं अन्य कार्यकलापों को प्रोत्साहन दिया जाएगा	किसानों के बीच समेकित कृषि प्रणाली को लोकप्रिय बनाया जा रहा है, जिसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, कृषि-वानिकी और अन्य संबद्ध गतिविधियाँ शामिल हैं।
30	छोटे किसानों को अपनी कृषि उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में समर्थ बनाना, किसान संगठन, कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन उद्योगों के साथ टाई-अप करना	विभिन्न योजनाओं के तहत किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठित किए गए हैं, किसानों को इनपुट, प्रौद्योगिकी, मूल्य संवर्धन और विपणन सुविधाओं के साथ सहायता दी जाती है।
31.	उत्पादन पूर्व बिक्री समझौता और संविदा खेती नियमावली अधिक पारदर्शी और किसानों के पक्ष में होनी चाहिए	राष्ट्रीय कृषि-विपणन मॉडल अधिनियम ने इन सभी मुद्दों को शामिल किया है।
32.	सफलता की कहानियों का प्रकाशन	किसानों की सफलता की कहानियों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया है ताकि अन्य किसानों को प्रेरणा मिल सके।
33.	मंडी स्तर पर किसानों की बैठक	किसानों की सफलता की कहानियों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया है ताकि अन्य किसानों को प्रेरणा मिल सके।
33.	मंडी स्तर पर किसानो की बैठक	मंडी विकास समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।
34.	भारत सरकार से 100 प्रतिशत सहायता के साथ मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रभावी योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता है	मृदा अपरदन को रोकने और मृदा और जल संरक्षण के लिए राज्य में पनधारा विकास और मृदा संरक्षण विकास विभाग द्वारा कई योजनाएँ और कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

35.	टैंक सिंचाई को बढ़ावा देना	पुराने जल निर्माण के कायाकल्प और नए जल भंडारण टैंक निकायों का कार्य एमजेएसए के तहत शुरू किया गया है।
36.	किसानों को इस बात की जानकारी देना आवश्यक है कि वे ऐसी फसल पद्धति अपनाए जो उन्हें दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर सुनिश्चित आय प्राप्त करने में समर्थ बनाती है	विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से किसानों को शिक्षा / सलाह दी जाती है कि वे एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाए जिसमें कृषि, बागवानी, कृषि-वानिकी, पशुपालन / डेयरी / पोल्ट्री / अन्य संबद्ध गतिविधि शामिल हैं ताकि उन्हें सतत आधार पर निरंतर आय सुनिश्चित की जा सके।
37.	आजीविका सुरक्षा के लिए किसानों के बीच संबद्ध कार्यकलापों को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है।	किसानों को नियमित आय और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मधुमक्खी पालन,कुक्कुट पालन,मशरूम की खेती,शडेनेट खेती,पोदशाला , फूलों और सब्जियों की खेती, खाद्य प्रसंस्करण आदि पर प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
38.	ग्रामीण स्तर पर खेत से बचाए गए बीजों के लिए सहायता	मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रचालन गुंवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन और किसानों के बीच वितरण करना है।
39.	4% ब्याज दर पर कृषि/फसल ऋण	जिला सहकारी बैंक 4% ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान करते हैं और राज्य सरकार की सहायता के बाद 0% ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक 7% ब्याज दर पर फसल ऋण वितरित करते हैं और समय पर ऋण चुकाने पर 3% ब्याज दर की सहायता मिलती है।
40.	ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि-आदानों की उपलब्धता	जीएसएस/ /केवीएसएस और निजी इनपुट डीलर के बड़े नेटवर्क द्वारा किसानों को कृषि आदान उपलब्ध कराए जाते हैं।
41.	फसल बीमा योजना में सुधार	पूर्ववर्ती योजनाओं की सभी अच्छी विशेषताओं को शामिल करने के बाद, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, खरीफ, 2016 से राज्य में प्रधान मंत्री बीमा योजना को लागू किया जा रहा है।
42.	उद्यमिता के लिए कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण	इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (नियाम), जयपुर, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत एक संस्थान, कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नाकोत्तर डिग्री प्रदान कर रहा है।
43.	भूमिगत जल स्रोतों का कृत्रिम पुनर्भरण	मौजूदा भूजल संसाधनों के पुनर्रूद्धार/विकास और पुनर्भरण के लिए राज्य में एमजेएसए के तहत निर्माण कार्य किए गए हैं।
44.	प्रत्येक गाँव से कृषक मित्र का चयन किया जाएगा	एनएमएईटी कृषि विस्तार उप-मिशन में राज्य में कृषक मित्र गतिविधि लागू की गई है।
45.	लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि मशीनरी	वर्ष 2014-15 में राज्य में कस्टम हायरिंग योजना लागू

	और उपकरण प्रदान करने के लिए कस्टम हायरिंग केन्द्र (सीएचसी)	है। राज्य के 295 ब्लॉकों में 2652 सीएचसी की स्थापना करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में राज्य में लगभग 300 सीएचसी कार्यरत हैं।
46.	सभी फसलों और सभी मंडियों में मंडी दरों का ऑनलाइन प्रदर्शन।	किसानों के लाभ के लिए सभी फसलों के लिए विभिन्न मंडियों में दैनिक बाजार मूल्य प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है।
47.	कृषि स्नातक जिनके पास स्व व्यवसाय के लिए जमीन है और जिनके पास जमीन नहीं है को प्रशिक्षित किया जाए और कृषि क्षेत्र में सेवा प्रदाता के रूप में विकसित किया जा सकता है	कृषि स्नातक कृषि विभाग की सहायता से सीएचसी खोल सकते हैं। अन्य लोग अंतर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार और प्रशिक्षण केंद्र (आईएचआईटीसी), जयपुर में पॉलीहाउस, शेडनेट की खेती, प्रजनन आदि पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
48.	नई चारा किस्मों और चारा परिरक्षण तकनीकों जैसे साइलेज मेकिंग, हे मेकिंग आदि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है	आरकेवीवाई की अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (एएफडीपी) उप योजना की हरा चारा उत्पादन गतिविधि की जाती है।
49.	मवेशियों की देशी नस्लों के संरक्षण के लिए सहायता	राज्य में गिर, थारपारकर, राठी, ककरेज आदि देसी मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और बहुलीकरण पर परियोजनाएं लागू की जाती हैं।
50.	शुष्क क्षेत्रों में औषधिय पौधों को लोकप्रिय बनाना	शुष्क भूमि बागवानी पर अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान और शुष्क भूमि बागवानी के तहत किसानों के बीच बेर, आंवला, अनार को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।
51.	शुष्क क्षेत्रों में औषधिय पौधों को लोकप्रिय बनाना	शुष्क भूमि बागवानी के तहत किसानों के बीच अश्वगंधा, एलोवेरा, आदि को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।
52.	चंडीगढ़ की तर्ज पर मंडी की स्थापन ऐसे स्थान पर की जा सकती है जहां किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेच सकता है	राज्य की 25 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) से जोड़ा गया है। कृषि मंडी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए कृषि व्यापार टॉवर, निजी मंडियां, ग्रामीण हाट और मंडी यार्ड स्थापित किए गए हैं।
53.	कृषि एवं संबद्ध विषयों में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर उनकी आवश्यकता में बढ़ोतरी हो रही है। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।	कृषि स्नातक कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र शुरू करने के लिए प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण के बाद कुछ स्नातक अपनी आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस, शेडनेट और अन्य हाईटैक कृषि तकनीक स्थापित कर रहे हैं।
54.	लघु और सीमांत किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।	राज्य में 2652 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए ट्रैक्टर विनिर्माण कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें से लगभग तीन सौ कस्टम हायरिंग सेंटर कार्य कर रहे हैं।
55.	न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की औसत भारित लागत से लगभग 50% अधिक रखा जा सकता है।	खरीफ 2018 और रबी 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने फसलों हेतु खेती की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी निर्धारित किया है।

****